न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
195 / अपील / 17	19.07.2017	30.11.2021

पीरू आ0 गफूर जाति मुसलमान निवासी नैंनवा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. बिस्मिला
2. जन्नत
3. मोबिन

} पुत्रियां घांसी जाति मुसलमान (फकीर) निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से – श्री शिफा उल हक एड0
रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 की ओर से – श्री एजाज अहमद एड0
रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैंनवा द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 09.10.2015 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से कृषि भूमि खसरा सख्या 86 रकबा 11 बीघा 01 बीस्वा वाके ग्राम नैंनवा खातेदार पीरू, कलाम पि0 गफूर जाति मुसलमान निवासी नैंनवा को मृत मानकर अन्य पुरूष मृतक घांसी की पुत्रियों का अंकन किया गया हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 86 रकबा 11 बीघा 01 बीस्वा वाके ग्राम नैंनवा में विस्थित हैं। उक्त कृषि भूमि पूर्व में स्वर्गीय अमीरा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट के पिता गफूर के नाम दर्ज हुई। स्वर्गीय गफूर के निधन के पश्चात उक्त कृषि भूमि अपीलांट पीरू व उसके भाई कलाम के नाम दर्ज किये गये। विवादित नामान्तरकरण से अपीलांट पीरू व उसके भाई कलाम को मृत मानकर कृषि भूमि का अंकन रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम कर दिया गया हैं जबकि अपीलांट व उसका भाई कलाम जीवित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि करते हुये गैर कानूनी रूप से अपीलांट की जगह अन्य व्यक्तियों का नाम अंकित कर दिया हैं। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 19.06.2017 को हुई जब अपीलांट

खाते की जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो उसको पता चला कि उक्त कृषि भूमियां अपीलांट व उसके भाई के नाम ना होकर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। विवादित नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 27.06.2017 को तहसीलदार नैनवा के यहां आवेदन प्रस्तुत किया। नामान्तरकरण की नकल उसी दिनांक 27.06.2017 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अभिभाषक से संपर्क कर अपील तैयार करवाई जाकर श्रीमान के यहां प्रस्तुत की गई हैं। जानकारी की तिथी से नकल मिलने की तिथी को मुजरा किया जाकर अपील अंदर अवधि हैं यदि अपील को पेश करने में विलम्ब माना जाता हैं तो अपील के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत हैं। विलम्ब को क्षम्य किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नैनवा द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 09.10.2015 खारिज किया जाकर राजस्व अभिलेख में पूर्ववत अंकन बहाल रखा जावें।

वकील रेस्पोडेन्ड संख्या 1 लगायत 3 ने बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 09.10.2015 से अपीलांट पीरू व कलाम को मृत बताकर तथा रेस्पोडेन्ड संख्या 1 लगायत 3 को मृतक घांसी के वारिस बताकर तस्दीक किया गया हैं जिसमें घांसी का किसी भी प्रकार से विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त विवादित नामान्तरकरण को खारिज किये जाने में रेस्पोडेन्ड संख्या 1 लगायत 3 को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं हैं।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते है,जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 09.10.2015 से अपीलांट पीरू व उसके भाई कलाम को मृतक मानकर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम का अंकन किया गया हैं जबकि अपीलांट पीरू व उसका भाई कलाम जीवित हैं और विवादित भूमि उन्हें विरासत में जरिये नामान्तरकरण संख्या 403 दिनांक 07.07.2010 से प्राप्त हुई हैं। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 को भी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारवान पाऐ जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 09.10.2015 को निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)